

**महिला प्रेरक समूह
दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र नियोजन**

प्रथम दिवस

प्रथम सत्र

अपराह्न 12:00-12:45	पंजीकरण कार्य विभाजन, स्वागत परिचय (गीत व खेल द्वारा) अभियान गीत – शिक्षा की रेल.....
12:45-01:00	प्रशिक्षण व परियोजना की विषयवस्तु व उद्देश्य परियोजना ढांचा
01:00-01:10	परियोजना ढांचा खेल व चर्चा (तीली वाला)
01:10-01:30	समस्या पहचान खेल व चर्चा
01:30-01:45	अपनी बेटियों के लिए सपना (अभ्यास)
01:45-02:00	गीत– जो न पायेंगे....
02:00-02:15	लड़के व लड़की विभेद पर चर्चा व अभ्यास
02:15-02:45	आकड़ों का विश्लेषण
02:45-03:00	गीत– जब बन ही गया.....
03:00-03:45	भोजनावकाश
03:45-04:15	दिनचर्या चार्ट, चर्चा व विश्लेषण
सत्र समाप्त	
सायं	
05:30-06:30	मीना फिल्म प्रदर्शन
07:00-08:30	रात्रि भोजन
09:00-11:30	संशोधन फिल्म प्रदर्शन
द्वितीय दिवस (प्रथम सत्र)	
प्रातः 9:00-9:15	अभियान गीत– हम लोग हैं.....
9:15-9:30	प्रथम दिन का कार्यवृत्त प्रस्तुतीकरण
9:30-10:00	' नेता की खोज ' खेल व चर्चा
10:00-10:30	' क्या आप जानते हैं ?'
10:30-11:00	फिल्म पर चर्चा (रात्रि की)
11:00-11:15	चाय
11:15-11:45	कहावतों पर चर्चा
11:45-12:00	हम बेटे पर बलिहारी..... गीत
12:00-12:15	मेरी पहचान
12:15-12:45	महिला प्रेरक समूह कार्य व दायित्व
12:45-01:15	' आदर्श संकुल की अवधारण '
01:15-01:30	मूल्यांकन व एजेण्डा पर चर्चा
01:30-01:45	गीत – " तोड़ तोड़ के बन्धनों "
01:45-2:30	भोजनावकाश
सत्र समाप्त	

प्रशिक्षण किसके लिए

- विद्यालय से दूरदराज के गाँवों तथा असेवित बस्तियों में एक ऐसे समूहों की आवश्यकता है जो वहाँ के विद्यालय जानी वाली उम्र के बच्चों को शिक्षा व्यवसाय तक पहुँचाये अथवा स्थानीय स्तर पर शिक्षा सुविधा मुहैया कराये । यह देखा गया है कि जिन गाँवों से प्राथमिक विद्यालय कुछ दूरी पर होते हैं वहाँ के लड़के तो विद्यालय जाते हैं परन्तु लड़कियों को दूसरे गाँव में पढ़ने जाने की छूट नहीं होती है । ऐसा भी देखा गया है कि कुछ अभिभावक प्रारम्भ में तो लड़की का नामांकन करा देते हैं परन्तु जैसे ही वह कक्षा ३ या ४ में पहुँची उसे बड़ी कहकर उसे पुनः घर पर बिठा लेते हैं । इन सभी निर्णयों में कभी लड़की की राय लेने की जरूरत नहीं समझी जाती । दरअसल अभिभावक अपनी लड़की को दूर के गाँव में भेजना असुरक्षित महसूस करते हैं । इसके साथ ही यह धारणा भी कार्य करती है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा ।
- ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये दो प्रकार के प्रयासों की जरूरत पड़ेगी एक तो ऐसे समूह का निर्माण किया जाये जो इन बच्चों खासकर बालिकाओं को विद्यालय तक पहुँचाने में मदद करे । दूसरा एक ऐसा अभियान चलाया जाये जिससे अभिभावक अपने बच्चों खासतौर से बालिकाओं की शिक्षा की जरूरत महसूस करें और यह दोनों प्रयास एक साथ शुरू किये जाये ।
- इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए इन गाँव में महिला प्रेरक दल की स्थापना की गयी है । महिला प्रेरक समूह को सम्वेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिये यह प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया है ।

प्रशिक्षण क्यों ?

- ⇒ महिलाओं में नेतृत्व क्षमता व कौशल के विकास के लिए ।
- ⇒ बालक-बालिकाओं में विभेद की विचार धारा को समाप्त करने के लिए ।
- ⇒ बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि व ठहराव को स्थायी बनाने के लिए ।
- ⇒ बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशीलता पर विचार हेतु तुलनात्मक समीक्षाकर माता/पिता व समाज के विचारों में बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए ।
- ⇒ प्राथमिक शिक्षा के साधनों (विद्यालय, आंगन-बाड़ी, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र) को बच्चों तक पहुँचाना और यदि उपलब्ध न हो तो वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रयास करना ।

- ⇒ जिस महिला प्रेरक समूह की सदस्या अनपढ़ या अर्द्धशिक्षित हो उनको ध्यान में रखते हुए दृश्य सामग्री खेल आदि का समावेश करना जिससे की प्रशिक्षण उनके लिए ग्राह्य हो तथा प्रशिक्षण के बाद वे अपने गांव की लड़कियों के लिए सशक्त योजना बनाए।
- ⇒ जिससे कि महिलाएँ सशक्त होकर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो और विद्यालयी व्यवस्था के सुधार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

महिला प्रेरक समूह (मप्रेस) प्रशिक्षण का उद्देश्य :-

- ⇒ महिला प्रेरक समूह समुदाय के प्रति जिम्मेदारी महसूस करें तथा लगातार सम्पर्क बनाकर सहयोग प्रदान करें।
- ⇒ अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक विशेषकर बालिकाओं की नामांकन वृद्धि, ठहराव एवं शालात्याग रोकने हेतु सहयोग करना।
- ⇒ महिला अभिप्रेरक समूह के रूप में एक सशक्त संगठन का निर्माण करना तथा क्षमता विकास करना।
- ⇒ विद्यालय में बालिकाओं के प्रति उपयुक्त संवेदी वातावरण बनाने की क्षमता का विकास।
- ⇒ महिलाओं में समूह की भावना का विकास करना।
- ⇒ महिला प्रेरक समूह में नेतृत्व का विकास करना, ताकि वे स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के लिए मुख्य भूमिका निभा सकें।
- ⇒ बालक/बालिकाओं के अन्तर की भावना को समाप्त करना।
- ⇒ गाँवों में शिक्षा का वातावरण तैयार कर माता-पिता को प्रेरित करना जिससे कि कोई भी 6-11 वय वर्ग का बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जायें।

प्रशिक्षण से पूर्व तैयारी :-

- ⇒ ऐसे गाँव/मजरे का चयन जहाँ विद्यालय नहीं हो।
- ⇒ गाँव में बैठक कर परियोजना की चर्चा।
- ⇒ गाँवों की महिलाओं के साथ बैठककर महिला अभिप्रेरक समूह का गठन (10-12 सदस्य)
- ⇒ महिला प्रेरक समूह के साथ बैठक कर प्रशिक्षण तिथि, स्थल तथा योजना निर्माण।
- ⇒ प्रशिक्षण से पूर्व गाँव की शैक्षिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े की तैयारी।
- ⇒ गाँव के ऐसे बच्चों की सूची जो विद्यालय या अन्य संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु नहीं जाते हैं।

⇒ बालिका शिक्षा, संगठन संबंधी पोस्टर/चित्र बनवाकर प्रशिक्षण कक्ष को सजाएं।

सुगमकर्ता/प्रशिक्षक के लिए आवश्यक बातें :-

⇒ प्रतिभागी पर किसी प्रकार का दबाव न बनायें।

⇒ प्रतिभागी की भाषा में ही बात करें।

⇒ प्रशिक्षण को बोझिल न करें।

⇒ सभी प्रतिभागियों को बोलने व गतिविधि करने का अवसर प्रदान करें।

⇒ समूह में कार्य विभाजन करें।

⇒ प्रशिक्षण ग्रहण करने वाली अनपढ़ व कम पढ़ी महिलाओं का ध्यान रखते हुए उनकी बातें, सुनें, समझे व समझायें।

⇒ अधिकतर बिन्दु व निष्कर्ष चर्चा द्वारा ही निकलवायें तथा उन्हें लिपिबद्ध करते रहे।

महिला प्रेरक दल प्रशिक्षण

प्रथम दिवस

पंजीकरण

सुगमकर्ता को निर्देश

सुगमकर्ता उपस्थित प्रतिभागियों का नाम अभिलेख पर लिखेगा व उनसे हस्ताक्षर करायेगा अथवा अंगूठा लगवायेगा।

प्रशिक्षण आवासीय है इसलिये सायं भी प्रतिभागियों का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा।

कार्य विभाजन

सुगम कर्ता सत्र प्रारम्भ करते ही प्रतिभागियों को 4 समूह में बांटेगा व उनके दायित्वों से उन्हें परिचित भी करायेगा। समूह निम्न प्रकार है :-

शिक्षा समिति

इस समिति के सदस्य प्रशिक्षण की समस्त गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे व प्रत्येक दिन का कार्यवृत्त या आख्या प्रस्तुत करेंगे।

व्यवस्था समिति

इसके सदस्य प्रशिक्षण में बैठने, रहने इत्यादि की व्यवस्था करेंगे।

भोजन समिति

यह समिति प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नाश्ते व भोजन में योगदान करेंगी।

सफाई समिति

यह समिति प्रशिक्षण कक्ष व भोजन कक्ष व प्रसाधन कक्ष की सफाई का ध्यान रखेगी।

सुगम कर्ता एक समय संचालक की भी नियुक्ति करेगा।

परिचय/स्वागत

प्रशिक्षण में सुगम कर्ता प्रतिभागियों को अपना परिचय देगा व प्रतिभागियों का आपसी परिचय करायेगा।

परिचय की विभिन्न क्रियायें

1. साधारण क्रिया :- सुगमकर्ता इस क्रिया में प्रतिभागियों से सिर्फ अपना नाम एक दूसरे को बताने के लिए कहेगा।

2. लड्डू-जलेबी :- प्रत्येक प्रतिभागियों को एक घेरे में बैठा कर अपने नाम से शुरू होने वाली मिठाई का नाम बताने के लिए सुगमकर्ता निर्देशित करेगा जैसे :-

रानी – राजभोग
लीला – लड्डू
जमुना – जलेबी

3. नाम की कड़ी :- सुगमकर्ता गोले में बैठे प्रतिभागियों जैसे- लीला, मीना, सोना, भूरी, गंगा, देवा इस क्रम में बैठी हैं तो उन्हें अपनी बारी में पहले बैठी सभी महिलाओं के नाम बताने हेतु कहेगा। लीला सिर्फ अपना नाम बतायेगी। मीना अपनी बारी में पहले लीला फिर मीना-लीला मीना नाम बतायेगी। सोना अपनी बारी में लीला, मीना, सोना नाम बतायेगी।

4. गीत द्वारा :- सुगमकर्ता गीत द्वारा अपना व प्रतिभागियों का परिचय भी करा सकता है।

लो बसन्त आया फूल खिले

लो बसन्त आया फूल खिले-फूल खिले

ओ S S लो बसन्त आयो फूल खिले

फूल खिले

बौर लदे डाल-डाल कोयलिया कूक उठी-उठी

मस्त रंग लायो फूल खिले-फूल खिले

आ S S S S S S..... ओ S S

मीना को लायो फूल खिले-खिले

सुशीला भी आई फूल खिले-खिले

(इत्यादि नाम 2-3 लगाकर गाएं)

एक कली प्यार वाली सुन्दर निखार वाली -2

परी भी आई फूल खिले-फूल खिले

कंचन को लाई फूल खिले-फूल खिले

विमला भी आई फूल खिले-फूल खिले

(इसी प्रकार आगे और भी 3-4 नाम जोड़ कर गाएँ)

आ S S S S S S..... ओ S S

लो बसन्त आयो फूल खिले-फूल खिले.....

5. खेल द्वारा :- समस्त प्रतिभागी एक गोले में खड़े हो जायेंगे। फिर कोई एक प्रतिभागी अपना नाम बताकर दूसरे साथी का नाम बोलकर उसका हाथ पकड़ेगा। जैसे- लीला ने पकड़ा रानी का हाथ, रानी ने पकड़ा जमुना का हाथ..... इसप्रकार सभी प्रतिभागियों से सुगमकर्ता परिचय करायेगा।

सुगमकर्ता को निर्देश :-

परिचय के बाद प्रत्येक प्रतिभागियों से सुगमकर्ता अभियान गीत करायेगा।

मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है।

सुगमकर्ता के लिए निर्देश :-

सुगमकर्ता महिला प्रेरक समूह को सर्वप्रथम परियोजना के विषय में एवं परियोजना के उद्देश्यों के विषयों में जानकारी प्रदान करेगा।

परियोजना की विषयवस्तु एवं उद्देश्य :-


स्वतंत्रता से अभी तक लगातार प्रयास रहे हैं। 6-11 वर्ष तक के सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। बहुत सारे बच्चे अभी तक स्कूल से बाहर हैं जिसमें अधिकतर लड़कियाँ हैं। अभी तक जितनी भी गतिविधियाँ रही है वे अधिकतर शिक्षक एवं विद्यालय केन्द्रित ही रही तथा समुदाय विशेषकर महिलाओं की भागीदारी न के बराबर रही। इस स्थिति को देखते हुए डी0पी0ई0पी0 की परिकल्पना की गयी। जिसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सामुदायिक सहभागिता को एक महत्वपूर्ण इकाई माना गया। यही सोच अब विद्यालय, समुदाय और उसके बच्चों के लिए बनी हैं। अतः विद्यालय, शिक्षक और उसकी गतिविधियों में समुदाय की भी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के उद्देश्य :-

- प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
- शत प्रतिशत नामांकन
- ठहराव पर विशेष ध्यान

- उपलब्धि स्तर पर सुधार
 - विद्यालय एवं समुदाय में जातिगत एवं लिंगभेद को कम करना
- सुगमकर्ता के लिए निर्देश :—सुगमकर्ता प्रतिभागियों को बतायेगा,

परियोजना ढाचा जिला स्तर पर : डी0पी0ई0पी0 के परिदृश्य में



उत्तर प्रदेश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो गया है। जिसमें गांव के स्तर के सभी विकास जिनके अर्न्तगत शिक्षा भी है, की जिम्मेदारी गांव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी ग्राम पंचायत को ही देदी गई है।

शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए एक समिति बनाई गयी है। जिसको ग्राम शिक्षा समिति कहा जाता है। गांव के सभी विकास के कार्यों के लिए जो धनराशि सरकार द्वारा दी जाती है। उसके लिए ग्राम शिक्षा निधि का खाता खोला गया है। जिसका संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक मिलकर करते हैं।

सुगमकर्ता हेतु निर्देश :- (तीली वाला खेल)

1. सुगमकर्ता इसे चार्ट में तैयार करके रखेंगे और अपने ढंग से प्रस्तुत करेंगे।
2. महिला प्रेरक समूह को एक अभ्यास क्रिया द्वारा अपनी बात स्पष्ट करेंगे।
3. तीलियों को इकट्ठा करने वाली बात, से समझायेंगे।

सुगमकर्ता प्रतिभागियों को दो समूह में बाँटेगा, एक समूह को एक-एक तीली देगा और प्रतिभागियों को तीली तोड़ने के लिए कहेगा। तीलियां टूट जाती हैं। दूसरे समूह को बीस-पच्चीस तीलियों को इकट्ठा करें एक बंडल बनाकर तोड़ने के लिए देगा। दूसरे समूह द्वारा हो सकता है या तो बंडल टूटे न या तो तोड़ने में प्रतिभागियों को कठिनाई अनुभव होगी। सुगमकर्ता इस अभ्यास का विश्लेषण करेगा कि एक तीली अकेली व कमजोर होने के कारण टूट जाती है।

तीली अभ्यास क्रिया से बात पर प्रभाव पड़ेगा, प्रेरक समूह गठन कि आवश्यकता स्पष्ट हो सकेगी कि शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य समुदाय में महिलाओं की भागीदारी नितान्त आवश्यक है। यह समुदाय कि महिलाओं के सक्रिय होने पर ही सशक्त हो सकती है। अतः प्रशिक्षण द्वारा महिला प्रेरक समूह को परिमार्जित किया जा रहा है ताकि संगठन में नेतृत्व की क्षमता, समह में कार्य करने का कौशल तथा सदस्यों को महिलाओं के लिए संवेदनशील बना सके। यह समूह समाज के बच्चों के जीवन को बदलने में अस्त्र का काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को प्राथमिकता प्रदान कर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर एक आदर्श गाँव बनायें और बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं सम्प्राप्ति के स्तर में सुधार कर सकें।

सुगमकर्ता हेतु निर्देश :- (समस्या पहचान खेल)

समस्या पहचान सम्बन्धी खेल हेतु :- सुतली का बड़ा गोला, गेंद की तरह बनाकर उसका प्रयोग करेंगे।

खेल का उद्देश्य :-

1. सहभागियों को आपस में नाम द्वारा जानना जिससे महिलाओं के अपने नाम का पहचान हो सके।
2. प्रतिभागी स्वयं पढ़े-लिखे होने का अहसास कर सकें।
3. प्रतिभागियों को पढ़ाई के महत्व का अहसास करना।
4. प्रतिभागियों को अपनी समस्याओं के प्रति ध्यान दिलाना।
5. खेल द्वारा संगठनात्मक भावना विकसित करना।

प्रक्रिया :- सबसे पहले सुगमकर्ता प्रतिभागियों को निर्देश देंगे कि वह अपनी शिक्षा संबन्धी समस्याएं बताएं। समस्त प्रतिभागियों को गोले में बैठाकर एक प्रतिभागी सुतली वाली गेंद को पकड़कर अपनी समस्या जैसे अनपढ़ होने के कारण अपने को महत्वहीन समझकर, कुछ सुतली पकड़कर गोला, दूसरी महिला का नाम लेकर उसकी ओर फेंकेगी, फिर वह महिला अपनी समस्या चिड़ी न लिख पाने की कहकर, सुतली का कुछ हिस्सा अपने पास रखकर, दूसरी महिला का नाम लेकर सुतली का गोला आगे फेंकेगी।

इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती जायेगी। जब तक सभी प्रतिभागी अपनी शिक्षा सम्बन्धी समस्या को नहीं बता देते। समस्त प्रतिभागी जब आड़े-तिरछे दाँये-बाँये सुतली को फेकेंगे, तो एक जाल सा बुन जायेगा। इसे सुगमकर्ता समस्या जाल कहेगा।

विषय :-

समाज में नारी का अस्तित्व कार्यविभाजन व लिंगभेद की धारणा

उद्देश्य:-

रोजमर्रा की दिनचर्या में महिला एवं पुरुष के मध्य विषमता के कारणों को जानना तथा प्रतिभागियों को अहसास कराना ।

क्या करेंगे :-

सुगमकर्ता सर्वप्रथम प्रतिभागियों से पूछकर एक महिला एवं पुरुष के दिनभर के कार्यों को सूचिबद्ध करेंगे । इस प्रकार जो चार्ट बनेगा वह सम्भवतः निम्न प्रकार का होगा ।

पुरुष के कार्य	महिला के कार्य
नौकरी	खाना बनाना
खेती करना	घर की सफाई
बाजार से आवश्यक वस्तु लाना	कपड़े, बर्तन धोना
गाय चराना	बच्चों की देखरेख
बाहर के अधिकतर कार्य को सम्भालना	रोगी की देखभाल
	पानी लाना
	जानवर को चारा देना

उन प्रतिभागियों से यह पूछे कि क्या उपरोक्त कार्य बदले भी जा सकते हैं । महिलाओं के कार्य पुरुषों द्वारा तथा पुरुषों के कार्य महिलाओं द्वारा किये जा सकते हैं अथवा नहीं । यदि नहीं किये जा सकते हैं तो घर के बाहर अर्थोपार्जन के लिये पुरुष खाना बनाने, सिलाई करने, कपड़े धोने आदि का कार्य नहीं करते । इसका मतलब यह निकलता है कि महिला और पुरुष की ऐसी कोई निर्धारित भूमिका नहीं है जिन्हे बदला न जा सके ।

नारी में प्राकृतिक गुण व समाज की धारणा अलग-अलग है

नारी व पुरुष में प्राकृतिक गुण	नारी और पुरुष के प्रति समाज की धारणा
प्रजनन क्रिया में नारी और पुरुष की भूमिका अलग-अलग है	नारी घर का काम करेगी और पुरुष बाहर का काम
केवल नारी ही संतान को जन्म दे सकती है	नारी नम्र, संकोची, भीरु व सहनशील होगी
केवल नारी ही संतान को स्तनपान करा सकती है	पुरुष कठोर प्रतिवादी, कर्कश व आक्रामक होंगे

इसका मतलब यह निकलता है कि नारी व पुरुष के प्राकृतिक गुण तो नहीं बदले जा सकते परन्तु समाज द्वारा प्रदत्त धारणा को बदला जा सकता है ।

सुगमकर्ता के लिए निर्देश :-

सुगमकर्ता को चाहिए कि वह इस समस्या जाल को अशिक्षा समस्या जाल कहकर, उस समूह को शिक्षा का महत्व समझायें और अनपढ़ होने से उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसकी चर्चा कर शिक्षा को समाज की प्राथमिक आवश्यकता बताएं।

सुगमकर्ता समस्याओं को लिखकर (संभावित) चर्चा करें समस्याएं निम्नवत् हो सकती हैं –

1. पढ़ी लिखी न होने के कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पाती।
2. पढ़ी लिखी न होने के कारण हिसाब नहीं आता।
3. कोई नयी योजना नहीं समझ पाती।
4. पढ़ी लिखी न होने कारण वे खुल कर सबसे बात नहीं कर पाती।
5. चिट्ठी नहीं पढ़ पाती।
6. कोई अर्जी नहीं लिख पाती।
7. किसी बात का निर्णय नहीं ले पाती।
8. निर्णय यदि लें लें तो मान्यता नहीं मिलती।
9. उनकी बात कोई ध्यान से नहीं सुनता।
10. अपनी बात चार लोगों से कहने में हिचकती हैं।
11. न पढ़ने से कभी-कभी गलत जगह पर पहुँच जाती हैं।
12. उन्हें लोग बेवकूफ समझते हैं।
13. आत्म विश्वास नहीं आ पाता।
14. उन्हें दूसरों के कहने पर वोट देना पड़ता है।
15. उन्हें लगता है उनकी इच्छा का कोई महत्व नहीं है।

चर्चा :-

सुगमकर्ता चर्चा करते समय प्रतिभागियों को बतायें कि प्रत्येक समस्याओं की जड़ में अशिक्षा है ऐसा बताना पड़ेगा। शिक्षा प्राप्त करके हम 'समस्या जाल' को काट सकते हैं। साथ ही अपनक बच्चों को पढ़ाकर उन्हें इन समस्याओं से बचा सकते हैं। उदाहरण से स्पष्ट करना पड़ेगा सुगमकर्ता को कि "आप लोगों ने कहा कि निर्णय नहीं ले पाती" इसका मुख्य कारण है कि

⇒ आप स्वयं नहीं जानती कि आप सही हैं या नहीं। सही कह रही हैं या नहीं।

⇒ आप अपनी बात जोरदार ढंग से, विश्वास से नहीं कह पाती।

⇒ आप बाहर नहीं निकलती इसलिए आपको सही जानकारी नहीं होती।

⇒ आप न पढ़ पाने के कारण जो सूचनायें और ज्ञान पुस्तकों में उपलब्ध है उन्हें जान नहीं पाती।

सुगमकर्ता शिक्षा को महत्व देते हुए महिलाओं को यह एहसास करा दे कि शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक है। एवं शिक्षित होकर और बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सकती हैं। चर्चा करने के उपरान्त महिलाओं से सुगमकर्ता यह पूछेंगे कि यदि उन्हें अलादीन का चिराग मिल जाय तो वह उससे अपनी बेटियों के लिए क्या मांगेंगी।

अपनी बेटियों के लिए सपना

सुगमकर्ता हेतु निर्देश:-

सुगमकर्ता एक चार्ट पर अलादीन का चिराग बनाकर पूर्व में ही लायेगा और चिराग से अपनी बेटियों हेतु मुरादें मांगने के लिए कहेगा। प्रत्येक प्रतिभागियों की माँगें वह लिखता जायेगा फिर उसे विश्लेषित करेगा।

अलादीन का चिराग

सुगमकर्ता के लिए :-

हो सकता है कि निम्न प्रकार की मुरादें महिलाओं द्वारा मांगी जायें:-

- ⇒ मैं अपनी बच्ची को कक्षा 8 तक पढ़ाना चाहती हूँ।
- ⇒ मैं अपनी लाली को मास्टरनी बनाना चाहती हूँ।
- ⇒ हम अपनी लड़की को शहर में पढ़ाना चाहती हैं।
- ⇒ मैं अपनी लड़की की पढ़ाई के लिए गाँव में विद्यालय चाहती हूँ।
- ⇒ मैं चाहती हूँ हमारी बेटी नौकरी करे।
- ⇒ मैं चाहती हूँ मेरी लड़की तरक्की करे।

महिलाओं की मुरादों को जानने के बाद सुगमकर्ता उन्हें शिक्षा के महत्व का एहसास कराते हुए महिलाओं को महिलाओं को शुभकामनायें देकर अपनी बात समाप्त करें।

सुगमकर्ता प्रतिभागियों से गीत—करवायेगा :-

मुँह सी के अब जी न पाऊँगी
जरा सब से यह कह दो
मैया कहे बिटिया सीस झुकाना—2
सर को न अब मैं झुकाऊँगी, जरा
अपने को अब ना दबाऊँगी जरा
मुँह सी
बापू कहे बिटिया पढ़ने ना जाना
अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊँगी, जरा.....
अपना मैं मान बढ़ाऊँगी, जरा.....
मुँह सी
भैया कहे बहना चौखट ना लांघो
चार दिवारी को गिराऊँगी, जरा.....
सारे पिंजरो से पीछा छुड़ाऊँगी, जरा.....
मुँह सी
शास्त्र कहे पिता—पति है स्वामी
अब न गुलामी सह पाऊँगी, जरा.....
रिश्ते बराबर के बनाऊँगी, जरा.....
मुँह सी
दुनिया कहे मुनिया मन की न करना
मन को न अब मैं दबाऊँगी, जरा.....
अपने ही सपने सजाऊँगी, जरा.....
मुँह सी

लड़के व लड़की विभेद पर चर्चा

सुगमकर्त्ता हेतु निर्देश:-

सुगमकर्त्ता को लड़के व लड़की विभेदपर अभ्यास कराने से पूर्व कुछ कार्यों को चार्ट पर लिख कर टांग ले। उन्हीं प्रश्नों को समस्त प्रतिभागियों को दे दे और उन्हें उस प्रश्नोत्तरी पर निशान लगाने के लिए कहे।

बाद में एक-एक प्रश्न पर कितने प्रतिभागी 'कार्य विशेष' लड़कों से करायेंगे कितने लड़कियों से करायेंगे यह पूर्वाग्रह जानकर चर्चा करायेगा।

लड़के व लड़की विभेद पर अभ्यास

यदि आप के एक लड़का व एक लड़की है, दोनों ही लगभग एक ही उम्र के हैं तो आप निम्न कार्य किससे करवायेंगी, लड़का से या लड़की से?

क्रम सं०	कार्य	लड़कियाँ	लड़के
1	सब्जी लाना		
2	झाड़ू लगाना		
3	भोजन बनाने में मदद		
4	मवेशी चराने जाय		
5	आपको एक गिलास पानी दे		
6	कपड़े धोना		
7	अतिथियों के लिए चाय बनाना		
8	उपले बनाना		
9	छोटे भाई-बहनों की देखभाल		
10	स्कूल में पढ़ने भेजने में प्राथमिकता देना		
11	कुएं से पानी खींचना		
12	बिजली का फ्यूज सुधारे		
13	साइकिल बनवाना		
14	घूमने जाना		
15	रुचि की वस्तुएं दिलाना		

लड़के व लड़की विभेद पर अभ्यास

कार्यों का विश्लेषण :-

उपरोक्त चार्ट में १५ तरह के कार्य दिये गये हैं जिनमें से ६ कार्य घरेलू कार्य या घर की जिम्मेदारी से सम्बन्धित हैं तथा ६ कार्य बाहर जाने से या बाहर के कार्यों से जुड़ा है । मान लीजिये उपरोक्त चार्ट में चर्चा के दौरान यदि यह निष्कर्ष निकलता है –

- ☞ लड़कियां घरेलू कार्य करती हैं।
- ☞ बाहर के सभी कार्य लड़के करते हैं।
- ☞ पढ़ने, घूमने के लिये लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त सुगमकर्ता महिलाओं में यह समझ पैदा करने के लिये कि क्या लड़कियां बाहर के काम के लिए अनुपयुक्त हैं? निम्नलिखित को पढ़कर चर्चा करवायें—

क्या लड़किया बाहर के काम के लिये अनुपयुक्त है

हर परिवार में लड़कियों को इस प्रकार पालापोसा जाता है जिससे वे केवल कुछ विशेष श्रोतों में दक्ष हो सके । जैसे खाना पकाना, घर सजाना, घरद्वार साफ सुथरा रखना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्चों का लालन—पालन, रोगियों की देखभाल, सभी की सेवा करना आदि कार्य । यह माना जाता है कि लड़किया इन्ही कार्यों के लिये है यदि संक्षेप में कहे तो हम यह कह सकते हैं वे काम जो घरेलू और अनुत्पादक होते हैं वह सभी कार्य लड़कियों के हिस्से में आते हैं । इसके विपरीत लड़कों को घर से बाहर सम्पादित होने वाले तथा उत्पादक कार्य प्रारम्भ से सिखाये जाते हैं । लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे लड़के कर सकते हैं और लड़किया नहीं ।

आपने अपने आस पास ही देखा होगा जब जरूरत पड़े और किसी महिला के साथ एक अनहोनी घटना घट जाये और उसके पति की मृत्यु हो जाये ऐसे समय में क्या वह महिला ऐसे सभी कार्य नहीं करती जो उसका पति करता था । यह देखा गया है कि जब महिलाओं पर जिम्मेदारी आती है घर परिवार चलाने की, घर से बाहर निकल कर खेती करने की तो उन्होंने इस कार्य को बहुत सफलता पूर्वक किया है । इसका मतलब यह है कि उसके अन्दर उस कार्य को करने की क्षमता है लेकिन उस क्षमता को उभारने का कभी अवसर ही नहीं दिया गया । यहाँ तक कि जो महिलायें घर के बाहर काम करती हैं उनके कार्यों को 'मर्द के काम' का दर्जा दिया जाता है तथा उसकी तुलना मर्दों से की जाती है ।

दसअसल महिलाओं में यह धारणा बनी हुई है कि आदमियों का स्थान उनसे उँचा है । लड़के जिस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते हैं लड़कियों के लिये वैसा चलना शोभा नहीं देता । केवल यही नहीं लड़के पुरुष होने के नाते जिन सुविधाओं का उपभोग करते हैं लड़कियों के लिये उन सभी सुविधाओं का भोग करना एक दुस्साहसिक कार्य है । प्रत्येक परिवार में माँ लड़कियों को यही शिक्षा देती आयी है इसीलिये लड़कियों की यह मानसिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है ।

अगर हम बचपन से ही लड़कियों के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करे, आगे बढ़ने का अवसर दे, रोक टोक न करे तो हमारे इस प्रयास से हम समाज से बदलाव

में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । फिर कोई हक भी नहीं है कि हम किसी की बढ़ती हुई क्षमता और विकास को रोके ।

दसअसल हम नहीं जानते हैं कि जब हम लड़कियों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाते हैं तो वह –

- ☞ बाल्यावस्था से ही उनके मन में धारणा बैठ जाती है कि परिवार में उससे ज्यादा उसके भाई के प्रति सबका स्नेह है ।
- ☞ उसके भाई का जीवन यापन स्वाधीन है जो लड़कियों के लिये शोभा नहीं देता ।
- ☞ अतः भाई जिस आयु में स्कूल जाता है, खेलता है उसी आयु में उसे घर के काम में हाथ बटाना पड़ता है, छोटे भाई बहनों की देखरेख करनी पड़ती है ।
- ☞ वह लड़की है इसलिये उसे कुछ मांगने का हक नहीं है जो मिलेगा उसी में उसे संतोष करना पड़ेगा ।

परिणाम स्वरूप

- ☞ लड़कियाँ स्वयं को लड़कों से हीन समझने लगती हैं ।
- ☞ परिवार और समाज में स्वयं को अनावश्यक तथा मूल्यहीन समझने लगती हैं ।
- ☞ लड़कियाँ क्या खायेंगी, क्या पहनेंगी, स्कूल में जायेंगी कि नहीं, किस आयु में उनका विवाह होगा, किसके साथ उसका विवाह होगा आदि सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसके अभिभावक ही लेते हैं ।
- ☞ लड़कियाँ भी उसी आदेश का पालन करना अपना कर्तव्य समझती हैं ।

परिणाम स्वरूप

- ☞ लड़कियों में निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो जाती है ।
- ☞ उनका आत्म विश्वास खो जाता है ।
- ☞ परावलम्बन की भावना का विकास होता है ।
- ☞ अधिकांश क्षेत्र में उनकी क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है ।

एक माँ के रूप में आपका दायित्व :-

- ☞ जब आपका बच्चा स्कूल या केन्द्र से लौटकर घर आता/आती है तो उसने क्या पढ़ा एक बार अवश्य सुने ।
- ☞ बच्चे को विद्यालय या केन्द्र भेजते समय उसके नाखून की जाँच अवश्य कर ले यदि नाखून बड़े हो तो उसे कटवा दे ।
- ☞ बच्चों के बालों व कपड़ों की सफाई का ध्यान रखे ।
- ☞ बच्चों में रोज नहाने की आदत डाले ।
- ☞ अध्यापक तथा अनुदेशक से मिलकर अपने बच्चों की आदतों, पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछे तथा राय ले ।

- ☞ बच्चे के कपड़ों की सिलाई खुली न हो तथा बटन लगे हो इस बात का भी ध्यान रखे।
- ☞ यदि आपके पड़ोस का कोई बच्चा 'लड़का/लड़की' विद्यालय जाना बंद कर दे तो उनके माँ बाप से मिलकर बच्चे को पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास करें।
- ☞ लड़की को भी खेलने, पढ़ने और बढ़ने का समान अवसर दे।


आंकड़ों का विश्लेषण

निर्देश:-

सुगमकर्ता मैनुअल के आंकड़ों का एक चित्र पहले से बना कर रख लेगा और उसी पर विश्लेषण करेगा।

उद्देश्य:-

- ⇒ विश्लेषण के माध्यम से उनको वास्तविक स्थिति से अवगत कराना कि कुल जनसंख्या में लड़कियों की संख्या लड़कों से कम है।
- ⇒ लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा बहुत कम संख्या में विद्यालय जाती हैं।
- ⇒ जनसंख्या के अनुपात में उनका नामांकन नहीं होता।
- ⇒ नामांकन के बाद उनका ठहराव विद्यालय में नहीं रहता है।
- ⇒ शालात्याग अधितर लड़कियाँ करती हैं।



सुगमकर्ता को निर्देश:-

सुगमकर्ता चार्ट पर बने आँकड़ों के विश्लेषण के समय प्रतिभागियों की समझ के अनुरूप भी पूछेगा।

समूह		कुल		पढ़ने वाले		न पढ़ने वाले
S.C.	बालक	59	} 135	39	} 76	20
	बालिका	76		37		39
B.C.	बालक	76	} 128	53	} 88	23
	बालिका	52		35		17
Minority	बालक	24	} 45	16	} 25	08
	बालिका	21		09		12
General	बालक	05	} 12	05	} 12	00
	बालिका	07		07		00
Total	बालक	164		113		51
	बालिका	156		88		88
Grand Total		320		201		119

चर्चा:-

1. कुल बच्चों में से 62.8% बच्चे स्कूल जाते हैं।
2. कुल बालकों में से 68.9% बालक स्कूल जाते हैं।
3. कुल बालिकाओं में से 56.4% स्कूल जाती हैं जो लड़कों के प्रतिशत से 12% कम है।
4. कुल सामान्य बच्चों में 100% नामांकन है।
5. अल्पसंख्यक कुल 55.5% स्कूल जाते हैं। जिसमें लड़के 66% व लड़कियाँ 42% हैं।
6. पिछड़े कुल 68.75% स्कूल जाते हैं। जिनमें लड़के 69% व लड़कियाँ 67% हैं।
7. S.C. कुल 56.2% स्कूल जाते हैं। जिनमें लड़के 66% व लड़कियाँ 48% हैं।
8. सबसे कम लड़कियाँ अल्पसंख्यक की पढ़ती हैं। जबकि सामान्य सबसे अधिक प्रतिशत में हैं।

सुगमकर्ता यह स्पष्ट बतायेगा कि यह आँकड़ा हरदोई जनपद के सण्डीला ग्राम सभा का है। यह सिर्फ उदाहरण मात्र है। ऐसा उदाहरण किसी भी जनपद की ग्राम सभा का भी हो सकता है और इस आँकड़े को शतप्रतिशत नामांकन में बदलना है।

सुगमकर्ता प्रतिभागियों से निम्न गीत करायेगा:-

जब बन ही गया बहनों का संगठन

जब बन ही गया बहनों का संगठन
इसको मजबूत करने का वादा करो।

चार दिन की सहेली, सहेली नहीं
उम्र भर साथ देने का वादा करो।
जब बन ही गया.....

औरतों के सवालों पर मिलकर सभी
खूब चर्चा चलाने का वादा करो।
जब बन ही गया.....

दुःख कोई बहन पर अगर आ पड़े
भार की छांव देने का वादा करो।
जब बन ही गया.....


औरतों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं
ऐसी हिम्मत जगाने का वादा करो।
जब बन ही गया बहनों का संगठन

सुगमकर्ता के लिए निर्देश:-


सुगमकर्ता प्रतिभागियों से महिला व पुरुष के कार्यों को पूछ कर उनकी दिनचर्या चार्ट बनायेगा। इसमें सुबह से देर रात तक किए गये बालिका व बालक के कार्यों को प्रतिभागियों से ही निकलवा कर सूची बद्ध कर के चर्चा करवायेगा जिससे स्पष्ट रूप से निकलकर आयेगा कि महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं। इसलिए वे शारीरिक मानसिक क्षमता से किसी प्रकार भी पुरुषों से कम नहीं है।

दिनचर्या चार्ट कराने के उद्देश्य:-

1. दिनचर्या चार्ट द्वारा बालिकाओं के कार्य की तुलना बालकों के कार्य के साथ करना।
2. बालिकाओं के कार्यों के महत्व को स्पष्ट करना।
3. कार्य के विभेद को स्पष्ट कर समझाना।
4. महिलाओं के कार्य में बोझ को स्पष्ट करना।
5. महिलाओं के कार्यों का आर्थिक मूल्यांकन करना।
6. कार्यों की अधिकता के साथ उनकी क्षमता एवं कार्य कुशलता को स्पष्ट करना।



बालिका



बालक

11 वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बालक-बालिका की दिनचर्या

दिनचर्या का चार्ट विश्लेषण :-

चार्ट में ग्यारह वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बालक व बालिका की दिनचर्या दर्शाई गयी है। उनके कार्यों की तुलना निम्न प्रकार की जा सकती है—

समय	बालक का कार्य	बालिका का कार्य
प्रातः ५ बजे	सोता है	उठकर घर का काम करती है
८ बजे तक	दैनिक क्रिया	झाड़ू व सफाई
११ बजे तक	घूमता है	खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है।
दोपहर १२ से ३ बजे तक	खाना खाता है, सोता है, आराम करता है	भोजन सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी भरना
सायं ४ बजे से ५.३० तक	खेत पर जाना	पशुओं की देखभाल
५.३० से ६ बजे तक	गाँव में घूमना, पशुओं की देखभाल, खाना खाना, सोना	झाड़ू लगाना, खाना पकाना
१० बजे		भोजन करना, बर्तन धोना, सोना

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बालिका जिसे समाज पर बोझ समझा जाता है इस दुनिया में आते ही उसके उपर इतना बोझ लाद दिया जाता है। ११ साल की एक बालिका जहां सुबह ५ बजे से लेकर रात्रि के १० बजे तक पन्द्रह घण्टे कार्य करती है वहीं बालक मात्र ४ से ५ घण्टे ही कार्य करते हैं।

अजीब विडम्बना है कि परिवार में लड़कों के जन्म पर बधाई गीत गाया जाता है सारा घर खुशी से फूला नहीं समाता है वहीं लड़की के जन्म पर परिवार में शोक की लहर दौड़ जाती है मातम जैसा माहौल हो जाता है, लड़कियों को मूल्यहीन समझा जाता है और जैसे-जैसे वह बड़ी होती जाती है उन्हें पूरा विकास करने का अवसर देने के बजाय हम उन्हें काम के बोझ तले उनकी सारी इच्छायें और प्रतिभा दबा देते हैं।

दिनचर्या चार्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि बालिकाओं के कार्य ज्यादा परिश्रम वाले होते हैं। आमतौर पर हमारे समाज में इन कार्यों की कोई गिनती नहीं होती है जबकि सत्यता इसके विपरीत है। लड़कियों द्वारा सम्पादित सभी कार्य यदि कीमत देकर किसी से कराया जाय तो उसकी अच्छी खासी कीमत देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं यह सभी कार्य उबाउ भी होते हैं।

विश्लेषण से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि बचपन से ही लड़कियों को उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य दिये जाते हैं जैसे खाना बनाना, बच्चों की देख रेख करना जबकि बालकों के लिये ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

बालिकायें घर के सभी सदस्यों के लिये कार्य करती हैं तथा सभी सदस्य उससे उम्मीद करते हैं जबकि वह किसी से अपने लिये कोई उम्मीद नहीं लगा सकती। लड़के की देखभाल बड़े होने पर भी सभी करते हैं परन्तु उसका किसी के प्रति उत्तरदायित्व होना आवश्यक नहीं है।

लड़के अपने काम के साथ-साथ मनोरंजन भी कर लेते हैं खेलकूद भी लेते हैं परन्तु लड़कियों के लिये मनोरंजन का अवसर नहीं मिलता है।

घर से यदि लड़की कुछ दिनों के लिये कहीं चली जाये तो उसके बदले लड़के काम में हाथ नहीं बटाते जबकि यदि लड़का कहीं बाहर चला जाये तो उसका कार्य लड़कियां सम्भालती हैं।

घर में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ माँ पर या बहनों पर होती है कभी भी पिता और भाई देखभाल नहीं करते हैं।

द्वितीय दिवस

सुगमकर्त्ता को निर्देश

सुगमकर्त्ता प्रतिभागियों से अभियानगीत ' हम लोग हैं ऐसे दीवाने ————— करायेगा ।

हम लोग हैं ऐसे दीवाने

हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदलकर मानेंगे ।

मंजिल को पाने आए, मंजिल को पाकर मानेंगे ।

हर माँग हमारी पूरी हो, उस वक्त तसल्ली पाएँगे ।

ऐसे तो नहीं ढलने वाले, हम लड़ते ही मर जाएँगे ।

हाँ, हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे ।

मंजिल को पाने —————

सच्चाई की खातिर दुनिया में, बापू ने भी गोली खाई थी ।

ईसा भी चढे थे सूली पर, सुकरात ने जान गंवाई थी ।

यूँ हम भी किसी से कम तो नहीं, तकदीर बदलकर मानेंगे ।

मंजिल को पाने —————

दो दिन की बहारें हैं जगमे, जब जुल्म किसी का चलता है ।

हर जुल्म का सूरज लाख उगे, हर शाम को सूरज ढलता है ।

नफरत के शोले दिल में है, हम उन्हें बुझाकर मानेंगे ।

मंजिल को पाने ————— ॥

प्रथम दिन की रात्रि में यूनिसेफ की संशोधन फिल्म एवं 'मीना' फिल्म का प्रदर्शन करेंगे ।
महिलाएं इसे देखेंगी और दूसरे दिन इस पर चर्चा करेंगी ।

सुगमकर्त्ता सर्वप्रथम पिछले दिन की कार्यवृत्त का प्रस्तुतीकरण करायेगा।

शिक्षासमिति— द्वारा प्रथम दिन का कार्यवृत्त प्रस्तुत होगा।

फिल्म पर चर्चा

सुगमकर्त्ता के लिये निर्देश

रात्रि में प्रतिभागीयों द्वारा देखी गई फिल्म पर चर्चा करेगा।

- ⇒ फिल्म कैसी लगी?
- ⇒ फिल्म में क्या देखा?
- ⇒ फिल्म में महिला की भूमिका कैसी लगी?
- ⇒ ठाकुर परिवार को देख कर कैसा लगा?
- ⇒ महिला सदस्य अपने गाँव में विद्यालय कैसे खुलवा पाई?
- ⇒ महिला ने समूह से कैसे सहयोग लिया?और सभी उसको सहयोग देने को कैसे तैयार हुए?
- ⇒ उस मजदूर महिला को देखकर कैसा लगा?
- ⇒ उन दोनो सदस्य एवं मजदूर महिला को डर का अनुभव कहाँ हुआ?
- ⇒ फिल्म में सबसे अच्छा रोल किसका लगा और सबसे खराब भूमिका किसकी लगी?
- ⇒ यदि आपके गाँव में इस प्रकार की परिस्थिति आ जाये तो आप क्या करेंगी?
- ⇒ आप अपने विद्यालय को खुलवाने के लिये कैसे प्रयास करेंगी?

सुगमकर्त्ता फिल्म द्वारा नेतृत्व की भावना को महिलाओं में विकसित करें और इस बात का एहसास करावे कि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता समूह में रहकर वह कुछ नहीं कर सकता समूह में रहकर वह अच्छा कार्य कर सकता है।

चर्चा के जवाब को वह नोट करता जाये तथा उसे समूह के साथ जोडकर विश्लेषित करें। संभावित उत्तर प्रतिभागियों के निम्नवत हो सकते हैं।

- ⇒ समूह में शक्ति होती है।
- ⇒ समूह में स्पष्टता होती है।
- ⇒ समूह का निर्णय अक्सर सही होता है।
- ⇒ समूह की सुनवायी अधिक व शीघ्र होती है।
- ⇒ अन्ततः समूह ही जीतता है।
- ⇒ जब अकेले होते हैं तब काम करने में अत्यधिक कठिनाई होती है, एवं अधिकतर असफलता मिलती है।
- ⇒ समूह में एक मुखिया होता है, जो अपने समूह की समस्याओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है।
- ⇒ समूह आसानी से किसी के दबाव में नहीं आता है।
- ⇒ महिलायें समाज को बदल सकती हैं, उनमें बदलने की क्षमता है, वे नेता हो सकती हैं।
- ⇒ सभी महिला सदस्यों को समूह की महत्ता को लोगों को बताना चाहिये ताकि समूह की शक्ति बढ़े।

खेल— नेता की खोज

सुगमकर्त्ता नेता की खोज वाला खेल करायेगा।

नेता की खोज का उद्देश्य

सुगमकर्त्ता के लिए

१. समूह के नेता को ढूढ़ना। इसके लिए समूह का अवलोकन करना।
२. महिला में भी नेता बनने की क्षमता है यह बताना।
३. नेता बनने की क्षमता पहचानना।
४. नेतृत्व में कार्य करने की आदत बनाना। उसका परिचय कराना।
५. नेतृत्व की अवधारणा समझाना।
६. समूह में कार्य करने के लिए नेता के महत्व को स्पष्ट कराना।
७. संगठित होकर कार्य करने की सफलता का एहसास कराना।
८. नेतृत्व की क्षमता को महिलाओं में विकसित करना।

प्रक्रिया

सुगमकर्त्ता सभी प्रतिभागियों को गोले में बैठाएगा। फिर एक प्रतिभागी को बाहर भेजेगा। अब समूह में से एक व्यक्ति को नेता चुनेगा। जिसके नेतृत्व में गतिविधि होगी। वह जैसा भी करेगा सभी समूह उसकी नकल करेगा। जैसे— यदि नेता ताली बजाता है— तो सभी ताली बजाएंगे। वो सिर पकडता है तो सभी सिर पकड़ेंगे।

बाहर गया हुआ व्यक्ति अन्दर आएगा और वह दूँडेगा इनमें नेता कौन है |जिसके नेतृत्व में सभी गतिविधि कर रहे हैं।

बाहर से आने वाला व्यक्ति जिसको नेता समझेगा उसके सामने जाकर बैठेगा। दि वह नेता है तो इस बार वह समूह के बाहर जाएगा |वापस आकर नेता दूँडेगा यदि वह गलत व्यक्ति के सामने बैठता है |वह व्यक्ति उसके पीठ में घूँसा मारेगा अथवा समूह के निर्णय के अनुसार उसको गतिविधि करना होगा जैसे— नाचना, गाना आदि।

यह कम क्रमशः चलता रहेगा।

⇒ खेल के बाद सुगमकर्त्ता इन बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे।

चर्चा बिन्दु

⇒ खेल कैसा लगा ?

⇒ खेलते समय कैसा अनुभव हुआ ?

⇒ नेता को कैसे पहचानते थे ?

⇒ नेता बनने वाली महिला को क्या अनुभव हुआ ?

⇒ नेता को जो नहीं पहचान पाया उसको कैसा लगा?

सुगमकर्त्ता हेतु निर्देश

सुगमकर्त्ता को चाहिये कि वे चर्चा के दौरान आयी बातों को नोट करे और चर्चा को इस प्रकार आगे बढ़ाये कि संघ के नेता के महत्व को स्पष्ट किया जा सके। इस खेल द्वारा सुगमकर्त्ता यह स्पष्ट करेगा कि समूह की बात में अधिक ताकत होती है। और समूह को अपनी बात कहने के लिए किसी को आगे करना ही होगा।

महिलाओं से प्रश्न – सुगमकर्त्ता द्वारा

- ⇒ महिलाओं से पूछें कि चुनाव में उन्होंने वोट किसे दिया ?
- ⇒ किसके कहने पर दिया ?
- ⇒ क्या वे उसे जानती हैं ?
- ⇒ इसके बाद उनके मतदान के महत्व को स्पष्ट करें ?
- ⇒ यदि कोई महिला प्रधान है? पद कैसा लगता है? पद के कार्यों का निर्णय कौन लेता है?
यदि कोई निर्णय लेता है तो उनको कैसा अनुभव?
- ⇒ इसी प्रकार के प्रश्न वह वी0 ई0 सी0 सदस्यों से भी पूछ सकता है।

सुगमकर्त्ता इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब के अनुसार इस बात को स्पष्ट करें उन्हें स्वयं निर्णय लेकर कार्य करना चाहिये ताकि वे अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकें। और निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें विकसित हो।

सुगमकर्त्ता प्रतिभागियों को ' क्या आप जानती है?' के अन्तर्गत कुछ कानूनी जानकारी भी प्रदान करेगा।

क्या आप जानती है?

अपराध	भारतीय दण्ड संहिता	अधिकतम सजा
दहेज मृत्यु	304 बी	आजीवन कारावास
मारपीट गंभीर चोट	319,320,323,324,325,326, 327,328,329,330,334,336	3 माह से 7 वर्ष तक का नरभ व कठोर कारावास व जुर्माना
औरत की शालीनता भंग व छेड़छाड़	354	2वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
अपहरण, भगाना या औरत को शादी हेतु मजबूर करना	366	10 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध	366 ए	10 वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो

बलात्कार	376	7 से 10 वर्ष कैद या आजीवन कारावास
पत्नी के रहते दूसरी शादी	498	7 वर्ष कैद या जुर्माना
गर्भपात कराना	312	3 वर्ष कैद
औरत की सहमति के बिना गर्भपात	313	आजीवन कारावास
विवाहिता से अनैतिक / शारीरिक संबंध	498	2वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द कहना व हरकत करना	409	2वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
औरत के साथ कूरता [पति के रिश्तेदार द्वारा]	498ए	2वर्ष कैद या जुर्माना या दोनो
भरणपोषण संबंधित कानून	125-128 भा0द0प्र0 संहिता	500/- प्रतिमाह पति से महिला प्राप्त करेगी

भारतीय संविधान में

अनुच्छेद 14	समता का अधिकार
अनुच्छेद 35 डी	समानकार्य के लिए समान वेतन
अनुच्छेद 23 एवं 24	शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 42	प्रसूति अवकाश
अनुच्छेद 325	निर्वाचन नामावली में अधिकार

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

लडकी को अपने पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान ही सम्पत्ति पाने का अधिकार है।

कहावतों पर चर्चा

सुगमकर्ता प्रतिभागियों को कहावतों पर चर्चा करेगा।

उद्देश्य

1. कहावतों के द्वारा महिला एवं पुरुष की सामाजिक स्थिति को समझाना।
2. महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता यह बताना।
3. समस्त कहावतें महिलाओं की स्थिति कम करती हैं।
4. समाज को दो भागों (महिला एवं पुरुष) में बाँटती है।
5. समस्त कहावतें महिलाओं को कमजोर साबित करती हैं।
6. कहावतें पुरुषों को अधिक शक्तिशाली एवं प्रतिष्ठित साबित करती हैं। जबकि ऐसा नहीं है।

सुगम कर्ता प्रतिभागियों से पूछ-पूछकर सहिता व पुरुष की कहावतें श्यामपट पर लिखा जायेगा।

महिलायों से संबंधित

- ⇒ बेटी पराया धन है।
- ⇒ बेटी का पालन-पोषण दूसरे के बगिचे के पेड़ पौधे को सींचने के समान है।
- ⇒ बेटी से कौन सा वंश चलता है।
- ⇒ ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी, सकल ताडना के अधिकारी
- ⇒ औरत की बुद्धि गुदूदी में होती है।
- ⇒ लडकी गाय के समान हैं।
- ⇒ बेटिया सौ साठ तो भी वंश की नाश।
- ⇒ लडकियों का पैदा होना अपशकुन है।

⇒ औरतों को कामायविस्था में पिता का संरक्षण युवावस्था में पति का संरक्षण एवं वृद्धावस्था से पुत्र का संरक्षण मिलना चाहिये ।

⇒ झगड़ें के तीन कारण— जर, जोरु, जमीन ।

⇒ औरत पुरुष के पैर की जूती होती है । लडकी को घर के बाहर की हवा लगी तो बिगड जायेगी ।

⇒ लडकी को मक्खन, लडकी को छाछ

⇒ औरतों को धरती के समान सहनशील होना चाहिये ।

⇒ लडकी गृहलक्ष्मी होती है ।

⇒ लडकी पथभ्रष्ट करने वाली होती है ।

पुरुषों से संबंधित

⇒ लडका घर का चिराग ।

⇒ लडका कुलदीपक है ।

⇒ पति परमेश्वर होता है ।

⇒ लडकों से वंश चलता है ।

यदि पुरुष महिलाओं का साथ देते है तो उन्हें जोरु का गुलाम माना जाता हैं ।

सुगम कर्त्ता हेतु निर्देश

सुगम कर्त्ता उपरोक्त कहावतों पर विचार करते हुये प्रतिभागियों को बतायेगा कि सामाजिक व्यवस्था पुरुष को कैसे समर्थ और औरतों को कैसे असहाय बनाती हैं ।

- महिलाओं को अपने जन्म से घर में पराया धन समझा जाता है ।
- अधिकतर औरतें अत्याचार, बलात्कार व छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। इनका दोषी भी उनको माना जाता है।
- अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों की शिकार प्रायः महिलाएँ होती है।
- औरत का सम्मान पुत्र उत्पत्ति से किया जाता है।

सुगमकर्ता प्रतिभागियों से प्रश्न करेगा कि क्या महिलाओं की क्षमता पुरुषों की तुलना में कम होती है?

इस प्रश्न के साथ स्पष्ट करेगा कि इन्दिरागांधी ने एक महिला होते हुए भी प्रधानमंत्री के रूप में सफल नेतृत्व किया। किरन बेदी, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती इत्यादि महिलाओं का उदाहरण भी देगा।

सुगमकर्ता हम बेटी पर बलिहारी नामक गीत करायेगा।

हम बेटी पर बलिहारी

गोद बिटिया खिलाये तो बड़ा मजा आये
उस पे बलिहारी जाये
लाखों लाड़ लड़ाये तो बड़ा मजा आये
उसे सर पर चढ़ाये तो बड़ा मजा आये
बेटी पैदा तो खुशियां मनाये
बेटी पैदा तो खुशियां मनाये
बड़ जोरों से धाल बजाये
बड़ जोरों से धाल बजाये
दुनिया सर पर उठायें
तो बड़ा मजा आये
मिल जुल कर नई दुनिया बनाये
मिल जुल कर नई दुनिया बनाये
जहाँ बेटी कभी न मुरझाये
जहाँ बेटी कभी न मुरझाये
बिटिया खिल खिल जाये
तो बड़ा मजा आये
बेटी हमारी भी खेलन को जाये
बेटी हमारी भी खेलन को जाये
संग सखियों के मौज उड़ाये
संग सखियों के मौज उड़ाये
छुट्टी कामों से पाये
तो बड़ा मजा आये
बचपन उसका भी गाये
तो बड़ा मजा आये

ज्ञान बढ़ाने मदरसे को जायें
ज्ञान बढ़ाने मदरसे को जायें
बेटी लायक और काबिल बन जाये
घर का मान बढ़ाये
तो बड़ा मजा आये

सुगमकर्ता महिलाओं की पहचान किन किन गुणों से हो सकती हैं प्रतिभागियों से पूछेगा। स्वयं सुगमकर्ता चार्ट पर एक महिला का चित्र बनाकर लायेगा और उसे लगाकर गुणों को उस पर लिखेगा।

सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों से उनके समूह के कार्य एवं उत्तरदायित्व के विषय में वे क्या कर सकती हैं पूछें? व उसे चार्ट पर लिखें।

महिला प्रेरक समूह कार्य एवं उत्तरदायित्व

प्रतिभागी निम्न कार्य बतायेंगे।

- विद्यालय में प्रतिदिन अपनी बच्चियों को भेजेगें।
- हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ायेगें।
- बच्चे व बच्चियों दोनों से घर का काम लेंगें।

सुगमकर्ता महिला प्रेरक दल को निम्न कार्य बतायेगा।

- ग्रामशिक्षा योजना से निकलकर आये विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं को विद्यालय/वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों/विद्या केन्द्रों में लाने का प्रयास करना।
- अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय न भेजने की स्थिति में महिला प्रेरक समूह उन अभिभावकों से बात करें, समस्या समाधान करते हुए दबाव समूह के रूप में कार्य करें।
- महिला प्रेरक समूह मासिक बैठक करें व पिछली बैठक की समीक्षा तथा आगामी कार्य योजना बनाना।
- बालिका समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य गाँवों से सम्बन्धित चल रही योजनाओं की जानकारी ग्राम विकास

पंचायत अधिकारी (बहुउद्देशीय कर्मी) से प्राप्त करना एवं उनको समुदाय के साथ बॉटना ।

- स्वास्थ्य से संबंधित समस्यायें जैसे टीकाकरण की जानकारी समुदाय को देना ।
- समुदाय के सहयोग से विद्यालय की समस्यायें दूर करना एवं निर्धन बालक-बालिका को प्रोत्साहन दिलवाना ।
- सरकार द्वारा दी गयी प्रोत्साहन सामग्री जैसे राशन, किताबें, छात्रवृत्ति का ठीक प्रकार से वितरण कराना ।
- विशेष कारण से विद्यालय न आने वाली बालिकाओं के लिये एसकोर्ट की व्यवस्था समुदाय के सहयोग से करवाना ।
- विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे मॉ बेटी मेला, ग्रामशिक्षा समिति मेला, बालमेला, मीना फिल्म, 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयन्ती एवं अन्य के आयोजन में सहयोग करना ।

सुगमकर्ता प्रतिभागियों को “आदर्श संकुल” की अवधारणा से भी परचित करायेगा ।

आदर्श संकुल

बालिका शिक्षा के क्षेत्र को लेकर उपेक्षित न्याय पंचायत को आदर्श न्याय पंचायत के लिये चयन करना ।

आदर्श संकुल की आवश्यकता

- अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित वर्ग तथा महिला साक्षरता दर न्यून होना ।
- बालिका नामांकन व ठहराव की स्थिति असंतोषजनक
- संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं

आदर्श संकुल का लक्ष्य

- विद्यालय वाले गांवों में शत प्रतिशत नामांकन
- शालात्याग को कम करना
- विद्यालय रहित गांवों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना व समुदाय के सहयोग से शिक्षा सुविधा मुहैया कराना

- बच्चों की उपलब्धि का स्तर बढ़ाना

न्याय पंचायत चयन का मापदण्ड

- न्यून महिला शिक्षादर
- बालिकाओं का न्यून नामांकन तथा ठहराव
- अनुसूचित जाति अथवा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र
- स्कूल में 10 -12 गांव से अधिक न हों
- सक्रिय ग्रामशिक्षा समिति
- महिला संगठनों तथा अन्य स्वयं सेवी संगठनों का कार्यरत रहना

माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ का गठन

जहां विद्यालय हैं वहां अभिभावक शिक्षक संघ बनेगा जिनमें 15 मातायें होंगी। माह में एक बार आवश्यकता पड़ने पर बैठक करें।

- नियमित विद्यालय जाने वाले बच्चे के अभिभावक
- लम्बे अन्तराल के बाद जाने वाले बच्चे के अभिभावक
- शालात्यागी बच्चे के अभिभावक
- जो बच्चे विद्यालय जाते ही नहीं जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र है, के अभिभावक

महिला प्रेरक दल का गठन

जहां विद्यालय नहीं है उन गांव व मजरे में इसका गठन होगा। इसमें 10 -12_महिलायें होंगी। जो अपनी बात कहने की क्षमता रखती हों। यह समूह गांव के बच्चों की शिक्षा हेतु कार्य करेगा। इसका नेतृत्व एक महिला संयोजिका के द्वारा होगा।

संकुल की गतिविधियां

1. वातावरण सृजन—शिक्षा हेतु
2. समुदाय से संपर्क, सभा, प्रेरित करना
3. नामांकन व ठहराव अभियान
4. पदयात्रा, प्रभातफेरी, कलाजत्था, दीवार लेखन इत्यादि

५. नुक्कड़ नाटक, मीना फिल्म प्रदर्शन, मां बेटी मेला, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक व सक्रियता
६. बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना

मूल्यांकन प्रपत्र

मुख्य बिन्दु

- संघ/संगठन की लगातार बैठक कर गांव की समस्याओं/ विद्यालय के संदर्भ में चर्चा करना।
- मीटिंग कैसी होगी?
- मीटिंग का एजेण्डा क्या होगा?
- पिछली बैठक में क्या कार्य निर्धारित किये गये उसमें कितने सम्पन्न हो सके।
- कौन से कार्य नहीं किये जा सके, उनके क्या कारण हैं?
- कितने प्रतिभागी बैठक में उपस्थित हुए?

संघ (W.M.C.) को दिये गये कार्यों का मूल्यांकन प्रपत्र

क्र०सं०	गतिविधि/ किये गये कार्यों का नाम	हाँ	नहीं	लिया गया निर्णय	सहयोग	समस्या/ बाधा	टिप्पणी

